भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 772
(उत्तर देने की तारीख 05.02.2026)

सीएसआईआर द्वारा अनुदान

772 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने विशेष वेतन एवं व्यावसायिक अद्यतन भत्ता (पीयूए) प्रोत्साहन राशि को अपने संसाधनों से वित्तपोषित न करके, इन प्रोत्साहनों को संस्वीकृत करने की स्पष्ट शर्तों का उल्लंघन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीएसआईआर ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना एकतरफा रूप से इन प्रोत्साहन राशियों में वृद्धि की है और भर्ती/मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक धन की हेराफेरी, करदाताओं के साथ जानबूझकर धोखाधड़ी और संसदीय निगरानी के उल्लंघन से अवगत है; और

(घ) गबन किए गए धन की वसूली के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उठाए गए या प्रस्तावित ठोस कदम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के वैज्ञानिकों को विशेष वेतन, दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि और व्यावसायिक अद्यतन भत्ता (पीयूए) देने के मुद्दे के संबंध में संसद में प्रस्तुत लोक लेखा समिति (पीएसी) की 34वीं रिपोर्ट (2025-26) में समिति द्वारा विस्तार से जांच की गई है। पीएसी ने नोट किया है कि वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2001 में इन प्रोत्साहनों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया था जिनमें यह शर्त भी शामिल थी कि अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ सीएसआईआर के अपने संसाधनों से पूरे किए जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यय की मॉनीटरिंग के लिए सीएसआईआर अलग से अभिज्ञेय शीर्ष का रख-रखाव नहीं कर सका । हालाँकि, सीएसआईआर ने पीएसी के समक्ष यह उल्लेख किया है कि वह प्रोत्साहनों के साथ-साथ वेतन और स्थापना व्यय की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदान के अतिरिक्त आंतरिक संसाधनों को नियमित रूप से परिनियोजित कर रहा है।

(ख) पीएसी ने टिप्पणी की है कि सीएसआईआर ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करते समय व्यय विभाग (डीओई) के स्पष्ट पूर्वानुमोदन के बिना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पैटर्न पर इन प्रोत्साहनों की दरों को संशोधित किया है। सीएसआईआर ने प्रस्तुत किया है कि यह संशोधन सीएसआईआर के शासी निकाय के अनुमोदन से अपनाया गया था और इन प्रोत्साहनों के नियमितीकरण हेतु वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग की सहमति लेने वाले प्रस्ताव वर्तमान में व्यय विभाग में विचाराधीन हैं।

(ग) सार्वजनिक धन की हेराफेरी या जानबूझकर धोखाधड़ी का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है। यह मामला प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक और अनुमोदन संबंधी मुद्दों से संबंधित है जिसकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है और यह मुद्दा नियमितीकरण हेतु व्यय विभाग में विचाराधीन है।

(घ) पीएसी की सिफारिशों के अनुरूप, सीएसआईआर ने प्रोत्साहनों के नियमितीकरण के लिए वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग की सहमति मांगी है। सीएसआईआर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व्यय विभाग में विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कार्रवाई हो तो उसे इस जांच के परिणाम और लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।
